भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2309
दिनांक 09.08.2023/18 श्रावण,1945 (शक) को उत्तर के लिए

फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्रीज़

2309 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूरी तरह कार्यशील फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्रीज की राज्य-वार सूची क्या है;

(ख) राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा प्रत्यायित कार्यशील फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्रीज़ का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्रीज़ में एनएबीएल के प्रत्यायन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) देश में 7 केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ हैं, जो चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, पुणे और हैदराबाद में स्थित हैं। देश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की राज्यवार सूची अनुलग्नक में देखी जा सकती है।

(ख) से (ग) सरकार, देश में फॉरेंसिक विज्ञान हेतु इको-सिस्टम समेत जांच और अभियोजन की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देश में फॉरेंसिक सुविधाओं का सुदृढीकरण एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कमी के विश्लेषण (गैप-एनालिसिस) और मांग के मूल्यांकन पर निर्भर करती है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, अपराध और अपराधियों की जांच और अभियोजन सहित नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा तथा संबंधित फॉरेंसिक विज्ञान सुविधाओं की जिम्मेदारी संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की होती है। हालांकि, गृह मंत्रालय ने देश में फॉरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। गृह मंत्रालय के तहत "फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय" ने देश में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में फॉरेंसिक जांच की गुणवत्ता और मानक सुनिश्चित करने के लिए एफएसएल द्वारा

दिनांक 09.08.2023 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं 2309

एनएबीएल का प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के अलावा निम्नलिखित जारी किए हैं, जो इस प्रकार हैं – एनएबीएल मानकों (आईएसओ 17025) के अनुसार प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन के लिए गुणवत्ता मैनुअल; फॉरेंसिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में कार्य पद्धती मैनुअल; जांच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह, संरक्षण और उसे लाने-ले-जाने के लिए दिशानिर्देश; फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना / उन्नयन के लिए उपकरणों की एक मानक सूची; और अपराध स्थल की जांच के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं।

चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद और पुणे में स्थित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के एनएबीएल प्रत्यायन से संबंधित आँकड़े केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

****

दिनांक 09.08.2023 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं 2309

अनुलग्नक

देश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की राज्य-वार सूची

01.01.2022 तक

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	राज्य एफएसएल की संख्या	क्षेत्रीय एफएसएल की संख्या
आंध्र प्रदेश	1	5
अरुणाचल प्रदेश	1	0
असम	1	5
बिहार	1	2
छत्तीसगढ़	1	3
गोवा	1	0
गुजरात	1	6
हरियाणा	1	4
हिमाचल प्रदेश	1	2
झारखंड	1	0
कर्नाटक	1	7
केरल	1	3
मध्य प्रदेश	1	4
महाराष्ट्र	1	13
मणिपुर	1	0
मेघालय	1	0
मिजोरम	1	0
नागालैंड	1	0
ओडिशा	1	3
पंजाब	1	3
राजस्थान	1	6
सिक्किम	1	0
तमिलनाडु	1	10
तेलंगाना	1	4
त्रिपुरा	1	0
उत्तर प्रदेश	1	12
उत्तराखंड	1	1
पश्चिम बंगाल	1	2
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	1
दिल्ली	1	1
जम्मू एवं कश्मीर	1	9
पुडुचेरी	1	0
कुल	**32**	**106**

(स्रोत: पुलिस संगठन रिपोर्ट, 2022)